सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 04, गुरूवार, *शाके* 1948- मार्च 25, 2026
Chaitra 04, Thursday, Saka 1948- March 25, 2026

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 17, 2026

जी.एस.आर.146 :-राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 17, 2012) की धारा 42 की उप-धारा (3) के खंड (e) और (m) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल, राज्य सरकार के अनुमोदन से, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल विनियम, 2018 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है, जो इस प्रकार हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

(1) इन विनियमों को राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 52 का संशोधन.- राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल विनियम, 2018 (जिन्हें इसके बाद उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 52 की विद्यमान उप-विनियम (2) के पश्चात् और विनियम 52 की विद्यमान उप-विनियम (3) के पूर्व, निम्नलिखित नया उप-विनियम (2-A) अंतःस्थापित किया जाएगा, जो इस प्रकार है: -

"(2-A) आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान की मान्यता हेतु प्ररूप-4 में किया गया कोई भी आवेदन तब तक स्वीकार/विचारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस पाठ्यक्रम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (No Objection Certificate) आवेदन के साथ संलग्न न हो।"

3. विनियम 53 का संशोधन.- उक्त विनियमों के विनियम 53 की उप-विनियम (1) के शीर्षक 'E' के खंड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "10 वर्ष" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "5 वर्ष" प्रतिस्थापित की जाएगी।

4. प्ररूप-4 का संशोधन.- उक्त विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप-4 में, विद्यमान प्रविष्टि 11 के पश्चात् और विद्यमान प्रविष्टि 13 के पूर्व, निम्नलिखित नई प्रविष्टि 12 अंतःस्थापित की जाएगी, जो इस प्रकार है: -

"12. राज्य सरकार द्वारा पाठ्यक्रम हेतु जारी 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का विवरण (NOC की प्रति संलग्न करें)

(i) पाठ्यक्रम का नाम ----------

(ii) आदेश संख्या और आदेश जारी करने की दिनांक ----------"

[संख्या संस्थापन/एक्ट संशोधन/2025/]

परिषद के आदेश से,

डॉ. मुखत्यार सिंह,
रजिस्ट्रार,
राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल।

RAJASTHAN AYURVED NURSING COUNCIL

NOTIFICATION

Jaipur, March 17, 2026

G.S.R.146 .-In exercise of the powers conferred by clause (e) and (m) of sub–section (3) of Section 42 of The Rajasthan Ayurved Nursing Council Act, 2018 (Act No.17 of 2012), the Rajasthan Ayurved Nursing Council, with the approval of the State Government, hereby makes the following regulations further to amend the Rajasthan Ayurved Nursing Council Regulations, 2018 , namely:-

1. Short title and commencement.-

(1) These regulations may be called the Rajasthan Ayurved Nursing Council (Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of regulation 52.- After the existing sub-regulation (2) of regulation 52 and before existing sub-regulation (3) of regulation 52 of the Rajasthan Ayurved Nursing Council Regulations, 2018, hereinafter referred to as the said regulations, the following new sub-regulation (2-A) shall be inserted, namely: -

"(2-A) An Application in Form-4 for recognition of Ayurved Nursing Training Institution shall not be entertained/considered, if No Objection Certificate for that course issued by State Government is not accompanied / annexed with the application."

3. Amendment of regulation 53.-In clause (i) of Heading E of sub-regulation (1) of regulation 53 of the said regulations, for the existing expression "10 years", the expression "5 years" shall be substituted.

4. Amendment of Form-4.- After the existing entry 11 and before existing entry 13 of Form-4, appended to the said regulations, the following new entry 12 shall be inserted, namely: -

"12. Details of No Objection Certificate for the course issued by State Government (Attach Copy of NOC)

(i) Name of the Course ----------

(ii) Order No. and Date of Issue of Order ----------"

F.No- संस्थापन/एक्ट संशोधन/2025/

By Order of the Council

Dr.Mukhtyar Singh,
Registrar,
Rajasthan Ayurved Nursing Council.

Government Central Press, Jaipur.